

रैस्टो 1124-III-15

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. /2015 रेस्टोरेशन

श्री. कमल अग्रवाल को

द्वारा आज दि. 19.5.15 को

प्रस्तुत:

कमल अग्रवाल
कलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
19.5.15

नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल,
आयु 37 वर्ष, निवासी-वार्ड क्रं. 12, चंदिया,
जिला- उमरिया (म0 प्र0)

- आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमति सुनीता अग्रवाल पत्नि
श्री गणेश अग्रवाल, आयु- 50
निवासी - वार्ड क्रं. 11, चंदिया,
जिला - उमरिया (म0 प्र0)

2. म0 प्र0 शासन

द्वारा कलेक्टर जिला-उमरिया

- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) प्रकरण क्रमांक 187-III/15

निगरानी नीलेश अग्रवाल विरुद्ध श्रीमति सुनीता अग्रवाल आदि पुनः


नम्बर पर लिये जाने हेतु।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नलिखित है:-

1. यहकि, प्रकरण क्रमांक 187-III/15 निगरानी नीलेश अग्रवाल विरुद्ध श्रीमति सुनीता अग्रवाल आदि माननीय न्यायालय के समक्ष 28.04.

वे.वे. 1124-III/15 उभयपक्ष

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
02-06-15	<p style="text-align: center;">कावेडक-3 के ऊपर</p> <p>श्री सुभाष लालना जी वे.वे. 1124-III/15 का सुनवाई। वे.वे. 0 कावेडक समयावधि में प्रस्तुत विभागात्मक अनुपस्थिति का कारण समाधान कारण होने से वे.वे. 0 कावेडक स्थगित किया गया है। मूख निगरानी 187-III/15 पुनः सुनवाई हेतु नया प्रमाणित किया गया है प्रमाणों को कार्यवाही शेष न होने से प्रमाण दायित्व रिकॉर्ड है।</p> <p style="text-align: right;">स.स.</p>	<p>22/7/15</p> <p></p> <p>24/15</p>